



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062021-227629
CG-DL-E-15062021-227629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2150]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ ज्येष्ठ 24, 1943
No. 2150]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISTHA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

का.आ. 2314(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 के कि.मी. 151.000 से 159.600 और चित्तौड़गढ़ बायपास के किमी 0.000 से 29.600 (भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/ छःलेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें, उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्,

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 के किमी 151.000 से 159.600 और चित्तौड़गढ़ बायपास के किमी 0.000 से 29.600 (भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: चित्तौड़गढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: गंगरार					
गांव का नाम: जोजरोँ का खेड़ा					
1	302/849	निजी	चाही-ए	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: भुवानीपुरा					
1	20 Mi	निजी	चाही 2	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
2	27/502	निजी	जाव 3	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
3	34 Mi.	निजी	बीड़	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
4	34/1	निजी	बीड़	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
गांव का नाम: गंगरार					
1	3481	निजी	सड़क	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
2	3482	निजी	सड़क	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
3	3497	निजी	सड़क	0.2300000(हेक्टेयर)	0.2300000
गांव का नाम: सोनियाना					
1	2605	निजी	बीड़	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
2	2605/4505	निजी	व्यवसायिक	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
3	2605/4506	निजी	बीड़	0.0480000(हेक्टेयर)	0.0480000
4	2606/4503	निजी	व्यवसायिक	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
5	2610	निजी	बीड़	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000

6	2611	निजी	बीड़	0.0480000(हेक्टेयर)	0.0480000
7	2615	सरकारी	रास्ता	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
8	2617	निजी	बीड़	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
9	4562/2613	निजी	व्यवसायिक प्रयोजनार्थ	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
10	4563/2613	निजी	बीड़	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
कुल				1.0560	1.0560

[फा. सं. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KU/LA/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2021

S.O. 2314(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/six lane, etc.), maintenance, management and operation of NH79 in the stretch of land from Km. 151.000 to Km. 159.600 and Km. 0.000 to Km. 29.600 of Chittorgarh Bypass (Bhilwara to Chittorgarh) in the District Chittorgarh in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one (21) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Collector (Administration) Chittorgarh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH79 in the stretch of land from Km. 151.000 to Km. 159.600 and Km. 0.000 to Km. 29.600 of Chittorgarh Bypass (Bhilwara to Chittorgarh) in the District of Chittorgarh in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN		District: Chittorgarh			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Gangrar					
Village: Jojaro Ka Kheda					
1	302/849	Private	Chahi A	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Village: Bhuanipura					
1	20 Mi	Private	Chahi 2	0.0500000(Hectare)	0.0500000

2	27/502	Private	Jaav 3	0.0200000(Hectare)	0.0200000
3	34 Mi.	Private	Beed	0.0700000(Hectare)	0.0700000
4	34/1	Private	Beed	0.0300000(Hectare)	0.0300000
Village: Gangrar					
1	3481	Private	Sadak	0.0700000(Hectare)	0.0700000
2	3482	Private	Sadak	0.0700000(Hectare)	0.0700000
3	3497	Private	Sadak	0.2300000(Hectare)	0.2300000
Village: Soniana					
1	2605	Private	Beed	0.0200000(Hectare)	0.0200000
2	2605/4505	Private	Commercial	0.0150000(Hectare)	0.0150000
3	2605/4506	Private	Beed	0.0480000(Hectare)	0.0480000
4	2606/4503	Private	Commercial	0.0100000(Hectare)	0.0100000
5	2610	Private	Beed	0.0550000(Hectare)	0.0550000
6	2611	Private	Beed	0.0480000(Hectare)	0.0480000
7	2615	Government	Rasta	0.0100000(Hectare)	0.0100000
8	2617	Private	Beed	0.1400000(Hectare)	0.1400000
9	4562/2613	Private	Commercial Purpose	0.0700000(Hectare)	0.0700000
10	4563/2613	Private	Beed	0.0900000(Hectare)	0.0900000
Total				1.0560	1.0560

[F.No. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KU/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Director